सूचना

उपरोक्त विषय पर निदेशक हाउसिंग फॉर आल विभाग के पत्र क्रमांक HFA/PMAY-U/2021-22/01 दिनांक 23/04/2021 तथा HFA/PMAY-U/2021-22/928-929 दिनांक 13/10/2021 के निर्देशानुसार प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) परियोजना में निम्नलिखित एक मुश्त बदलाव किए जाने का प्रावधान दिया है जो कि निम्न प्रकार है

1. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के BLC- (Enhancement) घटक का BLC(New) घटक में तबादला, Affordable Housing in Partnership घटक के लाभार्थियों का BLC घटक में तबादला तथा इसी प्रकार से BLC-(New) घटक का BLC-(Enhancement) घटक में, BLC घटक के लाभार्थी AHP घटक में स्वेच्छा से बदलाव करवा सकेगे |
2. लाभार्थी अपने शहर का बदलाव करवा सकेगे |
3. जो लाभार्थी अभी तक नगर निगम कार्यालय में अपना नक्शा पास नहीं करवा पाए है तथा न ही अपना मालिकाना हक़ प्रस्तुत कर पाए है उनको समयबद्ध अंतिम अवसर दिया जाएगा जिसकी समय सीमा 11 नवम्बर 2021 से 25 नवम्बर 2021 तक रहेगी |
4. लाभार्थियों के लिंग में बदलाव तथा जिनके दो बार नाम आये हुए है उनका सुधारीकरण किया जाना है

उपरोक्त बिन्दुओ में बदलाव करवाने हेतू इच्छुक लाभार्थियों को प्रार्थना पत्र एक मुश्त बदलाव का हलफनामा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी व मालिकाना हक़ का सबूत सहित सभी दस्तावेज़ नगर निगम (पुराना नगर सुधार मंडल) नेहरु प्लेस करनाल में स्वयं उपस्थित होकर जमा करवाए |

ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों की सूची नगर निगम करनाल की वेबसाइट तथा नगर निगम करनाल के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है यदि कोई आपति प्राप्त नहीं होती है तो उपरोक्त सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा बाद में कोई भी दावा/प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा |

आदेशानुसार
आयुक्त, नगर निगम ,
करनाल |